16/3/2022

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	बनाम	प्रतिवादी
शिवकरण पुत्र हनुमानराम जाट निवासी मण्डावरा		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी

राजस्व वाद = वाद रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act1955 एवं 136 R.L.Act1956 शुद्धि बाबत

वाद–पत्र नम्बर 35 / 2022 **GCMS No. 2022/57**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
04.03.2022	वादी / प्रार्थी श्री शिवकरण पुत्र हनुमानराम जाट निवासी मण्डावरा तहसील कुचामनसिटी एक प्रार्थना–पत्र / वाद रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act1955 एवं 136 R.L.Act1956 के तहत प्रस्तुत किया। दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली वास्ते सुनवाई दिनॉक 16.03.2022 को में पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी(नागौर)	
16.03.2022	पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का अवलोकन किया गया। वादी शिवकरण द्वारा एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 ग्राम मण्डावरा पटवार मण्डल मण्डावरा के खाता नम्बर 72 खसरा नम्बर 570, 571, 572, 573, 574, 575, 581, 582 मे वादी की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि शिवबक्ष पुत्र हनुमानराम जाट मण्डावरा दर्ज है, जो अशुद्व है। वादी का शुद्व नाम शिवकरण पुत्र हनुमानराम जाट मण्डावरा है, तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्व प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा आधार नम्बर 352162417985 दस्तावेज की छाया प्रति प्रस्तुत की है। इस संबंध में हल्का पटवारी हल्का मण्डावरा भू.अ.नि मण्डावरा एवं तहसीलदार कुचामनसिटी से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्व किये जाने की अनुशंषा की है। अतः वादी का वाद–पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में शुद्व प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर) उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)	68-70